<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कं.—1020 / 2004 संस्थित दिनांक—29.12.1995 फाईलिंग क.234503000031995

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना परसवाड़ा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>अभियोजन</u>
/ / <u>विरूद</u> / /	
100 B	
गंगोत्रीप्रसाद पिता हीरालाल, उम्र–51 वर्ष,	
निवासी–गाम देमा थाना प्रसवाडा जिला बालाघाट (म प्र)	

~ · · ·

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-30/07/2016 को घोषित)</u>

1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420, 409, 467 के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक—19.10.1994 के पूर्व ग्राम बघोली में म.प्र. शासन की संपत्ति के रूपये जो आपको परिदत्त करने के लिए न्यस्त थे, बेईमानीपूर्वक हेराफेरी कर प्रवंचित किया, उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सेल्समेन आ.जा. सेवा सहकारी समिति के कार्यालय के लोकसेवक होते हुए अपने कारोबार के उपक्रम में चांवल, मिट्टी तेल, शक्कर व अन्य सामग्री आपको न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग किया, उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिक्री रिजस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी मोतीराम घोरमारे ने दिनांक—17.02.1995 को पुलिस थाना परसवाड़ा में यह लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि गंगोत्री टेम्भरे पिता हीरालाल टेम्भरे, निवासी ग्राम देमा, तहसील बैहर अंतर्गत थाना परसवाड़ा लगभग एक वर्ष से सहकारी समिति मर्यादित बघोली में विक्रेता के पद पर कार्यरत् था। विक्रेता के चार्ज में उसके पास लीड सोसाईटी बघोली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान ग्राम अमवाही एवं ग्राम पोण्डी थी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से कार्ड धारियों को शक्कर, चांवल, मिट्टी तेल एवं अन्य सामग्री का वितरण कार्य किया जाता था। इसी कार्य के तहत विक्रेता लीड समिति मोहगांव से खाद्यान्न शक्कर, चांवल, मिट्टी तेल डीलर से प्राप्त कर अपने चार्ज में प्राप्त कर वितरण का कार्य संचालित करता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में 4 माह का खाद्यान्न स्टाक रखा जाता था और बिक्री की राशि हर तीसरे दिन मुख्यालय बघोली में जमा की जाती थी।

अभियोगी द्वारा अमवाही एवं पोण्डी की दुकान की जांच की जाने पर खाद्यान्न, शक्कर एवं मिट्टी के तेल में अफरा—तफरी पाई गई और कुल राशि 20005.35 पैसे की राशि गबन करना पाया गया। उसने उपरोक्त दोनों दुकानों का चार्ज आरोपी गंगोत्री टेम्भरे से लेकर तामिसंह कुर्राम को दिलाया एवं आरोपी गंगोत्री टेम्भरे से गबन की राशि वसूली हेतु दिनांक—13.12.1994 को नोटिस जारी किया गया, जिसका आरोपी ने उत्तर नहीं दिया। उपरोक्त स्थिति में समिति द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु गबन प्रकरण दर्ज कराने बाबत् वैधानिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त उचित मूल्य की दुकानों का बिकी रिजस्टर व अन्य दस्तावेजों को जप्त किया गया। उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—09 / 1995, अंतर्गत धारा—409, 420, 467 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामलें की विवेचना की गई एवं विवेचना के दौरान दस्तावेज जप्त कर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420, 409, 467 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420, 409, 467 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 द.प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।

4— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि</u> :—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—19.10.1994 के पूर्व ग्राम बद्योली में म.प्र. शासन की संपत्ति के रूपये जो आपको परिदत्त करने थे, उन्हें बेईमानीपूर्वक हेराफेरी कर प्रवंचित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सेल्समेन आ.जा. सेवा सहकारी समिति के कार्यालय के लोकसेवक होते हुए अपने कारोबार के उपक्रम में चांवल, मिट्टी तेल, शक्कर व अन्य सामग्री आपको न्यस्त रहते हुए उक्त संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिक्री रिजस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की ?

विचारणीय बिन्दु 1 व 2 का निष्कर्ष:-

5— साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का

निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी बी.एस. नेताम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह वर्ष 1994 में खाद्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसने प्रदर्श पी—1 पर हस्ताक्षर किये थे। पुलिस वालों ने प्रदर्श पी—1 में वर्णित स्टाक रिजस्टर एवं बिकी रिजस्टर जप्त किये थे और कार्यवाही परसवाड़ा पुलिस द्वारा की गई थी। परसवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था और कार्यवाही की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 में पुलिस थाना परसवाड़ा में हस्ताक्षर किये थे। जप्तशुदा रिजस्टर वह आरोपी के पास से लाया था। जप्ती के समय थाने में एक सिपाही व थानेदार के अतिरिक्त और कोई नहीं था। साक्षी के कथनों से प्रकट हो रहा है कि जब जप्ती की कार्यवाही हुई थी, तब आरोपी मौके पर नहीं था।

7— मोतीराम घोरमारे (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वर्ष 1995 में आरोपी गंगोत्री प्रसाद लैम्पस् बघोली के अंतर्गत ग्राम पोंडी तथा अमवाही में सहकारी समिति में सेल्समेन के पद पर कार्यरत् था और वह लैम्पस् बघोली के प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। बघोली लैम्पस् के अंतर्गत पोंडी तथा अमवाही सहकारी समिति आती थी। वर्ष 1994—95 तक गंगोत्री प्रसाद उपरोक्त दुकानों पर विकेता के पद पर कार्यरत् था। सेल्समेन के द्वारा ही सोसाईटी के शक्कर, चांवल व मिट्टी तेल का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता था जो राशनकार्ड के आधार पर सामग्री प्राप्त करते थे। लीड समिति समूह से पोंडी तथा अमवाही सोसाईटी को शक्कर, चांवल, मिट्टी तेल एवं खाद्यान्न प्राप्त होता था। विकय की गई वस्तुओं का मूल्य मुख्यालय बघोली में जमा किया जाता था। कार्ड धारियों को सामग्री का वितरण करने के पश्चात् राशि सेल्समेन द्वारा मुख्यालय में जमा की जाती थी। पोंडी तथा अमवाही मुख्यालय बघोली से 13 किलोमीटर दूर था और नदी—नाले पड़ते थे, इसलिए राशि प्रतिदिन जमा नहीं कराई जाती थी। वह पोंडी तथा अमवाही सोसाईटी की जांच स्वयं हफ्तें में एक बार करता था। दिनांक—17.10.1994 के पूर्व अत्यधिक बरसात होने से एवं वार्षिक लेखाबंदी होने से उसने पोंडी एवं अमवाही की जांच उस माह नहीं की थी।

8— दिनांक—17.10.1994 को उसने बघोली सोसाईटी का निरीक्षण किया और स्टॉक देखा तो उसने अमवाही सोसाईटी में 13940 / — रूपये एवं पोंडी सोसाईटी में 6060 / — रूपये कुल रूपये 20005.35 / — कम होना पाया। तत्कालीन समय में सेल्समेन आरोपी गंगोत्री प्रसाद के द्वारा सोसाईटी से खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री प्राप्त करने पर स्टाक रिजस्टर में इसका इन्द्राज किया जाता था और प्राप्ति स्वीकृति के बाबत्

हस्ताक्षर किये जाते थे। आरोपी गंगोत्री प्रसाद को दिनांक-16.12.1993 को अमवाही सोसोईटी का चार्ज दिया गया था। गंगोत्री प्रसाद ने अपनी हस्तलिपि में चार्ज प्राप्त किया था, जिसका इन्द्राज उचित मूल्य दुकान अमवाही के पृष्ठ क्रमांक-25 आर्टिकल ए पर प्राप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-16.12.1994 को उचित मूल्य दुकान पोंडी के स्टाक सामग्री का चार्ज आरोपी गंगोत्री प्रसाद द्वारा प्राप्त किया गया था एवं पृष्ठ क्रमांक-45 आर्टिकल बी के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आर्टिकल ए एवं बी में लालचंद एवं शिवलाल द्वारा स्टाक रजिस्टर की सामग्री आरोपी को सोंपे जाने का उल्लेख किया गया है एवं उपरोक्त आर्टिकल ए एवं बी के अनुसार आरोपी ने खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त की थी। आरोपी द्वारा शक्कर व चांवल के संबंध में प्राप्ति आर्टिकल सी एवं डी अनुसार प्राप्त की गई थी, जिस पर आरोपी ने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-22.07.1994 को मुख्यालय बघोली से 20 लीटर मिट्टी का तेल का स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ कमांक-53 में इंद्राज किया गया है। उपरोक्त स्टाक रजिस्टर आर्टिकल ई है, जिसमें आरोपी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक-17.10.1994 को उपरोक्त सामग्री का सत्यापन किया था, जिसमे स्टाक में 14 लीटर मिट्टी का तेल कम होना पाया। इस संबंध में उसने आर्टिकल ई के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-17.10.1994 को आरोपी से साबून के 210 नग प्राप्त किये थे, जो आर्टिकल एफ के पृष्ठ क्रमांक-91 में लेख है। आर्टिकल एफ के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

9— दिनांक—17.10.1994 को आरोपी ने स्टाक रिजस्टर अनुसार एक नग धोती कम पाई गई थी इस संबंध में स्टाक रिजस्टर आर्टिकल—जी के पृष्ठ कमांक—93 में उसने हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त आरोपी गंगोत्री प्रसाद द्वारा बारदाने के संबंध में लठ्ठा (कपड़ा) शक्कर, चांवल व साबून इत्यादि सामग्री कम पाई गई थी, जिसके संबंध में आर्टिकल—आई पर इन्द्राज किया गया था। सभी सामग्रियों का मिलान करने पर स्टाक रिजस्टर में जो सामग्री का इन्द्राज था एवं जो सामग्री आरोपी को दी गई थी, उसमें भिन्नता पाई गई थी, इसलिए कम पाई गई सामग्री का उल्लेख चार्ज देते समय लेख किया जाकर शिवलाल द्वारा चार्ज दिया गया था। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी—8 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था। थाना परसवाड़ा में उससे पोंडी सोसाईटी का स्टाक रिजस्टर जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—9 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके द्वारा प्रस्तुत करने पर आरोपी का दिनांक—10.08.1994 का आवेदनपत्र जप्त किया गया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक—14.09.1994 को मोहगांव सोसाईटी का केडिट मेमो पुलिस ने उससे जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी गंगोत्री

प्रसाद के छुट्टी के आवेदनपत्र उसने पुलिस को दिए थे, जिनकी जप्ती कर पुलिस ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-10 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

- प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे यह याद नहीं है कि आरोपी गंगोत्री 10-प्रसाद किस वर्ष से किस वर्ष तक सैल्समैन के पद पर कार्यरत् रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सोसाईटी की दुकान के कर्मचारियों को शासकीय वेतन नहीं मिलता और यह भी स्वीकार किया कि संस्था का संचालन मण्डल द्वारा चलाया जाता था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जिन दो सालों की जांच उसने की है, उन दोनों ही साल के विषय में आरोपी गंगोत्री प्रसाद का नियुक्तिपत्र अथवा बांडपत्र नहीं बनाया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी गंगोत्री प्रसाद दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। <u>माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत अरविन्द चंदिल विरूद्ध</u> मध्यप्रदेश राज्य व अन्य वर्ष 2015 सी.आर.एल.आर. (एम.पी-585) में अवधारित किया है कि ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा–397 / 401–दण्ड संहिता, 1860–धारा 409–आरोप विरचन का आदेश-प्रार्थी सेवा सहकारी समिति का समिति सेवक है-प्रार्थी लोक सेवक की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है-रेकॉर्ड से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने केरोसीन व गेहूं की बिकी राशि को जमा नहीं कराया और दुर्विनियोग किया-निर्णीत, धारा-409 के अंतर्गत आरोप नहीं बनता है व अपास्त किया तथा धारा-406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विरचित करने का निर्देश दिया"।
- 11— इस प्रकरण में आरोपी सेल्समेन के तौर पर तत्कालीन समय पर सोसाईटी में कार्यरत् था एवं उसे दैनिक वेतन भोगी के रूप में वेतन दिया जाता था, इसलिए वह लोक सेवक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, इसके अतिरिक्त आरोपी के नियुक्ति के संबंध में भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे आरोपी का घटना दिनांक को लोकसेवक होना नहीं प्रमाणित होता है।
- 12— प्रतिपरीक्षण में साक्षी मोतीराम घोरमारे (अ.सा.11) ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिदिन विक्रय में कमी पाई गई सामग्री के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये गए हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिदिन जो सामग्री सोसाईटी से जाती थी का हिसाब तथा उसकी राशि किस मद में सोसाईटी में आती थी, उसका इन्द्राज किया जाता था और इसी के आधार पर आय—व्यय का रोकड़ तैयार किया जाता था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी को उपरोक्त संबंध में कभी भी कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उचित मूल्य दुकान का सत्यापन कराने के संबंध में आरोपी को कोई सूचनापत्र नहीं दिया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 36 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिदिन कम पाई सामग्री का कोई दस्तावेज तैयार

नहीं किया गया है, इसलिए इस संबंध में कोई दस्तावेज जप्त भी नहीं हुआ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि संस्था के रिजस्टर से उचित मूल्य की दुकान के रिजस्टर का मिलान नहीं किया गया था। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि संस्था में संधारित रिजस्टर में भेजी गई सामग्री का उल्लेख से सोसाईटी की दुकान में उपलब्ध सामग्री के भौतिक मिलान से ही सामग्री के कम होने अथवा हेरफेर किये जाने के संबंध में प्रमाणिक धारणा की जा सकती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आर्टिकल क्यू—1—क्यू—22 के विभिन्न पेज पर आरोपी गंगोत्री प्रसाद के हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल डी—4 व अन्य रिजस्टर की जांच उसके द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से नहीं की गई।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी मोतीराम घोरमारे (अ.सा.11) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 45 में स्वीकार किया है कि मोहगांव से कितनी सामग्री आती थी और कितनी सामग्री वितरण की जाती थी उसका उल्लेख नहीं किया गया है और स्टाक रजिस्टर पोंडी में भी उपलब्ध सामग्री एवं वितरण का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने कहा है कि " स्टाक रजिस्टर बघोली का अलग रहता था और उचित मूल्य की दुकानों का अलग रहता था। बघोली सोसाईटी में जो स्टाक रजिस्टर होता था, उसमें खरीदी हुई समस्त सामग्री का विवरण होता था। समस्त सामग्रीयों की तादाद भी बघोली सोसाईटी के स्टाक पंजी में दर्ज की जाती थी। बघोली सोसाईटी से जो भी सामग्री वितरण की जाती थी उसका इंद्राज उस रजिस्टर में होता था। बघोली सोसाईटी का स्टाक रजिस्टर जिसमें सामग्री प्राप्त करना एवं प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों को वितरण करने की जानकारी अंकित है, वह रजिस्टर जप्त हुआ या नहीं जानकारी नहीं है।'' उपरोक्त प्रतिपरीक्षण की स्वीकारोक्ति से यह अभिप्राय निकाला जा सकता है कि जो भी सामग्री वितरण हेतु दी गई थी, उसका इन्द्राज भी किया जाता था एवं विकय की गई सामग्री का भी इन्द्राज किया जाता था, परंतु उचित मूल्य की दुकानों में जो वितरण सामग्री अंकित थी, उसके संबंध में रजिस्टरों की जप्ती नहीं की गई, इसलिए आरोपी को कितनी संपत्ति प्रतिपरीक्षण की कंडिका 47 में साक्षी ने स्वीकार किया कि दैनिक वेतन भोगी सैल्समैन बघोली सोसाईटी में पदस्थ थे, जो शासकीय सेवा में नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि गंगोत्री प्रसाद शासकीय सेवक नहीं है ।

14— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 49 में कहा है कि वह नहीं बता सकता कि उक्त रिजस्टर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया या नहीं। वह नहीं बता सकता कि दिनांक—17.10.1994 एवं दिनांक—19.10.1994 के कितने दिन पूर्व से आरोपी पोण्डी में पदस्थ रहा है। उसे याद नहीं है कि दिनांक—17.10.1994 एवं दिनांक—19.10.1994 के पूर्व

वह जांच करने गया था नहीं। वह नहीं बता सकता कि दिनांक—17.10.1994 एवं दिनांक—19.10.1994 के पूर्व आरोपी के द्वारा किस तारीख को कितनी राशि जमा की गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि दैनिक बिकी पंजी रिजस्टर पोण्डी में दिनांक—17.10. 1994 व दिनांक—19.10.1994 लेख नहीं है। रिजस्टर देखकर दिनांक—04.07.1994 पाया गया। दैनिक बिकी रिजस्टर में इंद्राज नहीं होना साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसके पास खाद्य सामग्री से संबंधित कोई स्टाक रिजस्टर नहीं था। समस्त स्टाक का रिजस्टर पोण्डी एवं अमवाही में ही होता था। कंडिका 56 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रतिदिन होने वाली बिकी की राशि को जमा करवाने का दायित्व उसका था। साक्षी ने स्वीकार किया कि भौतिक सत्यापन किये जाने के पूर्व सत्यापन किये जाने की सूचना देकर सत्यापन का कार्य किया जाता है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि स्वयं उसने गबन किया था और आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध धारा—420, 467, 468, 409 भा.द.वि. का प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

- जगतराम ठाकुर (अ.सा.17) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—17.10.1994 को विकासखंड अधिकारी परसवाड़ा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके समक्ष प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली द्वारा उचित मूल्य दुकान पोंडी का सत्यापन कर प्रदर्श पी—4 दस्तावेज बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने पोंडी की दुकान जाकर सत्यापन नहीं किया था, जो अभिलेख उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए थे, उनके आधार पर सत्यापन का कार्य किया था। दिनांक—17.10.1994 के स्टाक रजिस्टर आर्टिकल 25 के अनुसार पेज 49 पर 5.14 किंवटल कम पाया गया था। साक्षी ने यह नहीं बताया है, जो कि मात्रा 5.14 किंवटल कम पाई गई थी, वह किस वस्तु की कम पाई गई थी।
- 16— आर्टिकल—25 के पृष्ठ क्रमांक—11 में दिनांक—17.10.1994 के अभिलेख के अनुसार 12 किलो शक्कर स्टाक रजिस्टर में अंकित है। उसने बिक्री रजिस्टर सत्यापन करते समय नहीं देखा था।
- 17— आर्टिकल—25 के पृष्ट कमांक—11 में स्टाक व बिकी की गई मात्रा के आधार पर 12 किलो शक्कर कम पाया था, पृष्ट कमांक—53 में स्टाक रिजस्टर के स्टाक के अनुसार 26.30 क्विंटल चांवल कम पाया था, पृष्ट कमांक—63 में मिट्टी का तेल 14 लीटर कम पाया था, पृष्ट कमांक—91 में साबुन का स्टॉक सही था, पृष्ट कमांक—93 में एक नग धोती कम थी तथा पृष्ट कमांक 97 में धोती सही पाया था, पृष्ट कमांक—109 में राशन बारदाना 136 कम पाया था, जबिक 333 बारदाना आरोपी को दिया गया था, लठ्टा का

कपड़ा सही पाया था, पृष्ठ कमांक—129 में 5 नग बारदाना कम पाया था, पृष्ठ कमांक—152 में 75 किलो चांवल कम पाया था, साबनु नर्मदा सही पाया था, पृष्ठ कमांक—171 में चांवल मोटा 1.61 किंवटल कमी पाई गई थी। इस प्रकार उसने दुकान में 6060 / —रूपये की कमी पाया था। उसने मूल विकय रिजस्टर से स्टाक रिजस्टर का मिलान नहीं किया था। साक्षी ने कहा है कि सहकारी सोसाईटी नियम के अनुसार विकेता प्रतिदिन का विकय कर प्रबंधक के पास राशि व आंकड़ा प्रस्तुत करेगा। अपरिहार्य कारण से विकय का सत्यापन नहीं कराएगा तो वह दूसरे दिन कराएगा। साक्षी ने कहा कि स्टाक में कमी दिनांक—17.10.1994 की है या उसके पूर्व की है, यह बात प्रबंधक ही बता सकता है। उसके द्वारा आखिरी सत्यापन आर्टिकल 25 में लिखित कॉलम के आधार पर ही कमी बताई गई है। प्रकरण में जप्त आर्टिकल 25 के अंतिम कॉलम में संबंधित विकेता के हस्ताक्षर होते हैं।

18— उसने ग्राम आमवाही उचित मूल्य की दुकान के स्टाक रिजस्टर आर्टिकल 26 के आधार पर प्रदर्श पी—5 का सत्यापन किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल 26 के पृष्ठ कमांक—8 में 25 किलो शक्कर कम पाया था, पृष्ठ कमांक—27 के अनुसार 7.10 किलो गेंहूं कम पाया था, पृष्ठ कमांक—60 के अनुसार मिट्टी का तेल 41 लीटर कम पाया था, पृष्ठ कमांक—78 में राशन बारदाना 94 कम पाया, पृष्ठ कमांक—97 के अनुसार 26 नग बारदाना कम पाया था, पृष्ठ कमांक—107 के अनुसार चांवल बोरा 18.22 क्विंवटल कम पाया, सत्यापन रिपोर्ट में 18.32 क्विंवटल दर्शित है, वह गलत है, पृष्ठ कमांक—111 के अनुसार 5 किलो जे.आर.वाय. चांवल कम था। साक्षी का कथन है कि वह न तो मौके पर गया था और न ही उसने वितरण रिजस्टर की जांच की थी। उसने इस बात का सत्यापन भी नहीं किया कि उक्त कमी दिनांक—19.10.1994 की है या उसके पूर्व की है। उसके द्वारा सत्यापन किया गया, जिसके अनुसार प्रदर्श पी—4 में 6060. 60 / —रूपये एवं प्रदर्श पी—5 में 13,992.90 / —रूपये की कमी कमशः उचित मूल्य दुकान ग्राम पोंडी एवं ग्राम आमवाही में पाई गई थी।

19— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सभी विक्रेताओं द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य पर रखा गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि समिति को देने के संबंध में सामग्री प्रबंधक द्वारा क्रय की जाती थी। आरोपी को कितना सामान दिया गया था, इसका सत्यापन उसने केडिट मेमो को देखे बगैर प्रदर्श पी—4 अनुसार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आर्टिकल 25—26 विक्रेता के कार्यकाल की थी, इसकी उसे जानकारी नहीं थी। आर्टिकल 25—26 के रजिस्टर खुले अवस्था में उसके पास लाए गए थे और उनका संधारण किसके द्वारा किया गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में साक्षी ने एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि

प्रबंधक घोरमारे द्वारा सारी कार्यवाही कर ली गई थी तथा उन पर विश्वास कर उसने हस्ताक्षर किये थे, स्वयं उसने कोई भी दस्तावेज नहीं देखे थे। इस प्रकार साक्षी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और इस इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं होता है।

टी.आर. साहू (अ.सा.18) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह वर्ष 20-1995 में थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध कमांक-9/95 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। दिनांक-14.09.1995 को मोतीराम द्वारा एक आवेदन जो दिनांक-10.08.1994 का आरोपी की हस्तलिपि में था, जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने मोतीराम द्वारा पेश किये जाने पर सहकारी विपणन मोहगांव के क्रेडिट मेमो जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिसके द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक–06.10.1995 को मोतीराम के पेश करने पर आरोपी गंगोत्रीप्रसाद के हस्तलिपि आवेदन जिसमे 1–1 दिन छुट्टी का लेख है, जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–10 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने विजयनारायण एवं विजय ढेकन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने इसके अलावा और कोई अन्य कार्यवाही नहीं की थी। उसने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दस्तावेज हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास परीक्षण हेतु भेजा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि क्रेडिट मेमो में किसके आदेश से सामान आया था, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी कहा है कि समिति द्वारा माल के आवक के विषय में कितना भुगतान किया गया था, वह नहीं बता सकता।

21— पूरनलाल प्रजापति (अ.सा.14) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—18.04.1995 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उसने अपराध कमांक—01/95 की विवेचना के दौरान मोतीराम लेम्स प्रबंधक बघोली के पेश करने पर एक स्टाक रजिस्टर जिसमें पृष्ठ कमांक—1 से 201 जो दिनांक—20.11.92 से प्रारंभ होना लेख है एवं एक दैनिक विकय रजिस्टर पृष्ठ कमांक—1 से 199 जो कि दिनांक—23. 11.1992 से दिनांक—07.07.1994 तक है, को जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी गंगोत्रीप्रसाद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—11 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने व्ही.एम. नेताम खाद्य निरीक्षक के प्रस्तुत किये जाने पर खाद्यान्न स्टाक पंजी, जिसमें पृष्ठ कमांक—1 से 199 तक है, वर्ष 1992 से 1993 लेख है, जप्त किया था। उक्त रजिस्टर

आमवाही, एक दैनिक विकय रिजस्टर उचित मूल्य दुकान आमवाही जिसमें 1 से 191 तक पृष्ठ है। उसने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शेष विवेचना उसके द्वारा नहीं की गई है। उसने मौकानक्शा प्रदर्श पी—8 बनाया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि उसके द्वारा प्रकरण में पूर्ण विवेचना नहीं की गई है। साक्षी ने कहा है कि जब उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही थी, तब आरोपी को संस्था से निकाल दिया गया था। उसने प्रदर्श पी—1 का रिजस्टर मोतीराम से जप्त किया था, जो कि गबनशुदा सामग्री की जानकारी के लिए जप्त किया गया था। पुनः साक्षी ने कहा है कि जब प्रदर्श पी—1 का रिजस्टर जप्त हुआ था, तब आरोपी गंगोत्री को संस्था से निकाल दिया गया था। साक्षी ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने कितनी राशि किस तिथि को गबन की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि तत्कालीन सेल्समेन से उसने दस्तावेज जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रकरण में प्रदर्श पी—4 व प्रदर्श पी—5 पर विकेता के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी—4 व प्रदर्श पी—5 उसके द्वारा जप्त नहीं किये गए थे, इसलिए वे नहीं बता सकता की आरोपी ने कितनी राशि का गबन किया था।

22— पुरूषोत्तम टोडरे (अ.सा.15) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—15.02.1995 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मोतीराम घोरमारे द्वारा प्रदर्श पी—6 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 का आवेदन देते समय अथवा प्रदर्श पी—7 की कायमी करते समय किसी भी प्रकरण का अभिलेख अभियोगी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अपराध की जांच करते समय उसने लिखित तथ्यों के आधार पर कायमी की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मदिवा की प्रदर्श पी—6 का आवेदन प्रस्तुत करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा—409, 420, 467 के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गए थे।

23— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी गुलजार सिंह (अ.सा.2) ने कहा है कि उसे मैनेजर ने बताया था कि अभियुक्त ने कुछ गबन किया है, परंतु उसे ध्यान नहीं है कि आरोपी ने कितना गबन किया है। साक्षी लीलाबाई (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना के समय वह समिति की सदस्य थी, उसे मैनेजर ने बताया था कि आरोपी ने गबन किया है कितना गबन किया है, इसकी जानकारी उसे नहीं है।

24— बुधराम (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी।

25— चम्मेबाई, चैनलाल (अ.सा.६) जोगलाल (अ.सा.७), गिरमाजी (अ.सा.८) ने घटना के विषय में कोई भी जानकारी नहीं होना बताया है। उपरोक्त साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं होता है। बरातू (अ.सा.९) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसने हस्ताक्षर किये थे, परंतु क्या जप्त हुआ था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि पुलिस वाले उसे बुलाकर थाना ले गए थे और दस्तखत करने के लिए कहा था, तो उसने दस्तखत कर दिए थे।

26— मूलचंद (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी गुलाब (अ.सा.12) ने कहा है कि प्रदर्श पी—10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—10 आरोपी गंगोत्री प्रसाद का अवकाश आवेदनपत्र है, जिसके विषय में साक्षी का कहना है कि यह दस्तावेज आरोपी गंगोत्री का छुट्टी का आवेदन पत्र है, यह उसे याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कहना है कि उसने प्रदर्श पी—10 के दस्तावेज को पढ़कर नहीं देखा था। उसके समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गए थे।

27— परदेशी (अ.सा.19) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। पुलिस ने उसके सामने आरोपी गंगोत्री प्रसाद का एक लिखित आवेदन जप्त नहीं किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—10 पर उसने अंगूठा लगाया था या नहीं इसकी उसे याद नहीं है। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। चम्हरे बाई (अ.सा.20) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी ने क्या किया इसकी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। उसके घर पर राशन दुकान चलती थी, जिसका उसे किराया मिलता था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके घर में कई सेल्समेन आते—जाते रहते थे।

28— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—405 पर यदि विचार किया जावे तो ऐसी संपित्त जो किसी को न्यस्त की गई, उस संपित्त का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेने पर अथवा उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेने से आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाना माना जाता है। इस अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होता है कि संपित्त आरोपी को न्यस्त की गई थी एवं वह न्यस्त संपित्त आरोपी द्वारा बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर ली गई थी अथवा उसे अपने उपयोग में

संपरिवर्तित कर लिया गया था। इस प्रकरण में आरोपी पर यह अभियोग है कि लीड सोसाईटी का सैल्समेन होते हुए उसे जो शासकीय संपत्ति जैसे की खाद्यान्न शक्कर, मिट्टी का तेल, चांवल इत्यादि सामग्री जो उसे न्यस्त की गई थी, वह सामग्री का आरोपी ने दुर्विनियोग किया था। आरोपी गंगोत्री के घटना के समय उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समेन होने से वह शासकीय सेवक की श्रेणी में नहीं आने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा—409 का अपराध किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता, परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—406 के अधीन अपराध किये जाने के विषय में अवश्य विचार किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष ने घटना दिनांक को आरोपी के आधिपत्य में दी गई सामग्री 29-के कम होने के विषय में अभियोजन साक्षी मोतीराम (अ.सा.11) का न्यायालयीन परीक्षण कराया है। मोतीराम (अ.सा.11) ने जहां मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसने आर्टिकल ए लगायत आई के रजिस्टरों में सामग्री कम होने के विषय में जांच की थी और अपनी जांच में विभिन्न सामग्री की मात्रा कम पाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जो सामग्री का भौतिक सत्यापन उसने मौके पर किया था एवं उपरोक्त आर्टिकल रजिस्टर जप्त किये थे, उसका मिलान लीड सोसाईटी से प्रदान की गई सामग्री के मिलान से किया जाकर मौके पर घटना दिनांक को नहीं किया गया था। लीड सोसाईटी बघोली से दी गई सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान अमवाही एवं पोंडी पर प्राप्त हुई थी एवं इसका इन्द्राज वहां उपलब्ध रजिस्टरों में किया गया था सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं इसके इंद्राज के संबंध में दस्तावेज अभिलेख पर लाया जाना चाहिए, इसके पश्चात् विक्रय की गई सामग्री का उल्लेख जिस रजिस्टर में किया गया था, उतनी मात्रा की सामग्री का कम होना तथा मूल्य अनुसार विकय की राशि लीड सोसाईटी में जमा कराए जाने का संपूर्ण ब्यौरा की जांच की जाना आवश्यक थी। जब तक प्राप्त सामग्री का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक न्यस्त की गई संपत्ति की धारणा नहीं की जा सकती एवं न्यस्त संपत्ति में से कितनी संपत्ति का दुर्विनियोग किया गया है अथवा जांच किये जाने पर कम पाई गई, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि विक्रय की गई सामग्री की राशि दो-तीन दिन में पोंडी एवं अमवाही दुकान से बघोली लीड सोसाईटी में जमा कराई जाती थी। इस प्रकार इन दो तीन दिनों का हिसाब किताब कि कितनी सामग्री का विक्रय किया गया एवं वह राशि लीड सोसाईटी में लाकर जमा कराई गई, का हिसाब-किताब भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भी आर्टिकल रजिस्टर न्यायालय के 30-समक्ष प्रस्तुत किये गए है, वह आर्टिकल रजिस्टर आरोपी के आधिपत्य से जप्त नहीं किये गए हैं और न ही यह उल्लेख किया गया है कि भौतिक सत्यापन किये जाते समय आरोपी के आधिपत्य से सामग्री की उपलब्धता तथा विक्रय की गई सामग्री का ब्यौरा एवं जमा की गई राशि का ब्यौरा एक साथ जप्त किया जाकर उसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। जप्ती की कार्यवाही के सभी स्वतंत्र साक्षियों द्वारा जप्ती की कार्यवाही की जानकारी न होना व्यक्त किया गया है। यदि सत्यापन की कार्यवाही पर विचार किया जावे तो अभियोजन साक्षी मोतीराम घोरमारे (अ.सा.11) ने स्वीकार किया है कि सत्यापन की कार्यवाही की जाते समय आरोपी को इस संबंध में नोटिस नहीं दिया गया था अथवा गवाहों के समक्ष यह सत्यापन कार्य किया गया था, इस बात का उल्लेख साक्षी के न्यायालयीन परीक्षण में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत राघवेन्द्र कुमार विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एम.पी. वीकली नोट्स 2001(I)331 में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता, 1860–धारा–409 तथा 405–दुर्विनियोग का अपराध–अभियुक्त सहकारी सोसाईटी का शाखा प्रबंधक-धारा-405 के घटक साबित नहीं-वास्तविक दुर्विनियोग अथवा अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तन सिद्ध नहीं-सोसाइटी को कोई हानि होना नहीं दश्प्रया गया–मात्र लेखा–पुस्तकों में फर्क के कारण अभियुक्त सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकरण में यह अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से सामग्री का दुर्विनियोग किया था अथवा स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया था और सोसाईटी को हानि हुई थी, इसलिए आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—420 एवं 409 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 एवं 409 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचाणीय बिन्दु कमांक-3 का निष्कर्ष

- 31— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—467 का अपराध किये जाने का अभियोग है।
- 32— आरोपी पर अभियोग है कि उसने बिकी रिजस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित था कि कूटरचना, शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—467 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकारी होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यावान प्रतिभृति की रचना या अंतरण का, या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को

प्राप्त करने का या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकारी होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारणपत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूट रचना करेगा, वह (आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत आरोपी द्वारा अपराध किये जाने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि आरोपी ने बिकी रजिस्टर जो मूल्यवान प्रतिभूति होना तात्पर्यित थी कि कूटरचना शासकीय संपत्ति को गबन करने के आशय से की थी। अभियोजन साक्षी मोतीराम घोरमारे ने अपने विस्तृत न्यायालीयीन परीक्षण में यह कहा है कि उसने वर्ष 1995 में आरोपी गंगोत्री प्रसाद लैम्पस् बघोली के अंतर्गत ग्राम पोंडी तथा अमवाही में सहकारी समिति में सेल्समेन के पद पर कार्यरत था। घटना के समय वह लैम्पस् बघोली के प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। बघोली लैम्पस् के अंतर्गत पोंडी तथा अमवाही सहकारी समिति आती थी। वर्ष 1994-95 तक गंगोत्री प्रसाद उपरोक्त दुकानों पर विकेता के पद पर कार्यरत् था। सेल्समेन के द्वारा ही सोसाईटी के शक्कर, चांवल व मिट्टी तेल का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता था जो राशनकार्ड के आधार पर सामग्री प्राप्त करते थे। लीड समिति समूह से पोंडी तथा अमवाही सोसाईटी को शक्कर, चांवल, मिट्टी तेल एवं खाद्यान्न प्राप्त होता था। विकय की गई वस्तुओं का मूल्य मुख्यालय बघोली में जमा किया जाता था। कार्ड धारियों को सामग्री का वितरण करने के पश्चात् राशि सेल्समेन द्वारा मुख्यालय में जमा की जाती थी। पोंडी तथा अमवाही मुख्यालय बघोली से 13 किलोमीटर दूर था और नदी-नाले पड़ते थे, इसलिए राशि प्रतिदिन जमा नहीं कराई जाती थी। वह पोंडी तथा अमवाही सोसाईटी की जांच स्वयं हफ्तें में एक बार करता था। दिनांक—17.10.1994 के पूर्व अत्यधिक बरसात होने से एवं वार्षिक लेखाबंदी होने से उसने पोंडी एवं अमवाही की जांच उस माह नहीं की थी।

33— दिनांक—17.10.1994 को उसने बघोली सोसाईटी का निरीक्षण किया और स्टॉक देखा तो उसने अमवाही सोंसाईटी में 13940/—रूपये एवं पोंडी सोसाईटी में 6060/—रूपये कुल रूपये 20005.35/— कम होना पाया। तत्कालीन समय में सेल्समेन आरोपी गंगोत्री प्रसाद के द्वारा सोसाईटी से खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री प्राप्त करने पर स्टाक रिजस्टर में इसका इन्द्राज किया जाता था और प्राप्ति स्वीकृति के बाबत् हस्ताक्षर किये जाते थे। आरोपी गंगोत्री प्रसाद को दिनांक—16.12.1993 को अमवाही सोसोईटी का चार्ज दिया गया था। गंगोत्री प्रसाद ने अपनी हस्तिलिप में चार्ज प्राप्त किया

था, जिसका इन्द्राज उचित मूल्य दुकान अमवाही के पृष्ठ क्रमांक-25 आर्टिकल ए पर प्राप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-16.12.1994 को उचित मूल्य दुकान पोंडी के स्टाक सामग्री का चार्ज आरोपी गंगोत्री प्रसाद द्वारा प्राप्त किया गया था एवं पृष्ठ कमांक-45 आर्टिकल बी के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आर्टिकल ए एवं बी में लालचंद एवं शिवलाल द्वारा स्टाक रजिस्टर की सामग्री आरोपी को सौंपे जाने का उल्लेख किया गया है एवं उपरोक्त आर्टिकल ए एवं बी के अनुसार आरोपी ने खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त की थी। आरोपी द्वारा शक्कर व चांवल के संबंध में प्राप्ति आर्टिकल सी एवं डी अनुसार प्राप्त की गई थी, जिस पर आरोपी ने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक—22.07.1994 को मुख्यालय बघोली से 20 लीटर मिट्टी का तेल का स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक-53 में इंद्राज किया गया है। उपरोक्त स्टाक रजिस्टर आर्टिकल ई है, जिसमें आरोपी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक-17.10.1994 को उपरोक्त सामग्री का सत्यापन किया था, जिसमें स्टाक में 14 लीटर मिट्टी का तेल कम होना पाया। इस संबंध में उसने आर्टिकल ई के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-17.10.1994 को आरोपी से साबून के 210 नग प्राप्त किये थे, जो आर्टिकल एफ के पृष्ठ कमांक-91 में लेख है। आर्टिकल एफ के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-17.10.1994 को आरोपी ने स्टाक रजिस्टर अनुसार एक नग धोती कम पाई गई थी इस संबंध में स्टाक रजिस्टर आर्टिकल-जी के पृष्ठ क्रमांक-93 में उसने हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त आरोपी गंगोत्री प्रसाद द्वारा बारदाने के संबंध में लठ्ठा (कपड़ा) शक्कर, चांवल व साबून इत्यादि सामग्री कम पाई गई थी, जिसके संबंध में आर्टिकल-आई पर इन्द्राज किया गया था। सभी सामग्रियों का मिलान करने पर स्टाक रजिस्टर में जो सामग्री का इन्द्राज था एवं जो सामग्री आरोपी को दी गई थी, उसमें भिन्नता पाई गई थी, इसलिए कम पाई गई सामग्री का उल्लेख चार्ज देते समय लेख किया जाकर शिवलाल द्वारा चार्ज दिया गया था। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-8 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था। थाना परसवाड़ा में उससे पोंडी सोसाईटी का स्टाक रजिस्टर जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-9 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके द्वारा प्रस्तुत करने पर आरोपी का दिनांक-10.08.1994 का आवेदनपत्र जप्त किया गया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-14.09.1994 को मोहगांव सोसाईटी का क्रेडिट मेमो पुलिस ने उससे जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी गंगोत्री प्रसाद के छुट्टी के आवेदनपत्र उसने पुलिस को दिए थे, जिनकी जप्ती कर पुलिस ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-10 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी का यह कहना है कि उपरोक्त आर्टिकल रजिस्टर में जो इन्द्राज किया गया है, वह इन्द्राज

आरोपी द्वारा किया गया है। अभियोजन साक्षी जगतराम (अ.सा.17) के न्यायालयीन परीक्षण पर विचार किया जावे तो उसका कहना है कि वह दिनांक—17.10.1994 को विकासखंड अधिकारी परसवाड़ा में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके समक्ष प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बघोली द्वारा उचित मूल्य दुकान पोंडी का सत्यापन कर प्रदर्श पी—4 दस्तावेज बनाया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने पोंडी की दुकान जाकर सत्यापन नहीं किया था, जो अभिलेख उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए थे, उनके आधार पर सत्यापन का कार्य किया था। दिनांक—17.10.1994 के स्टाक रजिस्टर आर्टिकल 25 के अनुसार पेज 49 पर 5.14 क्विंटल कम पाया गया था। साक्षी ने यह नहीं बताया है, जो कि मात्रा 5.14 क्विंटल कम पाई गई थी, वह किस वस्तु की कम पाई गई थी।

35— आर्टिकल—25 के पृष्ठ क्रमांक—11 में दिनांक—17.10.1994 के अभिलेख के अनुसार 12 किलो शक्कर स्टाक रजिस्टर में अंकित है। उसने बिक्री रजिस्टर सत्यापन करते समय नहीं देखा था।

आर्टिकल-25 के पृष्ठ क्रमांक-11 में स्टाक व बिक्री की गई मात्रा के आधार पर 12 किलो शक्कर कम पाया था, पृष्ठ क्रमांक-53 में स्टाक रजिस्टर के स्टाक के अनुसार 26.30 क्विंटल चांवल कम पाया था, पृष्ठ क्रमांक-63 में मिट्टी का तेल 14 लीटर कम पाया था, पृष्ठ क्रमांक—91 में साबुन का स्टॉक सही था, पृष्ठ क्रमांक—93 में एक नग धोती कम थी तथा पृष्ठ कमांक 97 में धोती सही पाया था, पृष्ठ कमांक-109 में राशन बारदाना 136 कम पाया था, जबिक 333 बारदाना आरोपी को दिया गया था, लठ्ठा का कपड़ा सही पाया था, पृष्ठ कमांक-129 में 5 नग बारदाना कम पाया था, पृष्ठ कमांक-152 में 75 किलो चांवल कम पाया था, साबनु नर्मदा सही पाया था, पृष्ठ क्रमांक-171 में चांवल मोटा 1.61 क्विंटल कमी पाई गई थी। इस प्रकार उसने दुकान में 6060 / - रूपये की कमी पाया था। उसने मूल विकय रजिस्टर से स्टाक रजिस्टर का मिलान नहीं किया था। साक्षी ने कहा है कि सहकारी सोसाईटी नियम के अनुसार विकेता प्रतिदिन का विकय कर प्रबंधक के पास राशि व आंकड़ा प्रस्तुत करेगा। अपरिहार्य कारण से विकय का सत्यापन नहीं कराएगा तो वह दूसरे दिन कराएगा। साक्षी ने कहा कि स्टाक में कमी दिनांक-17.10.1994 की है या उसके पूर्व की है, यह बात प्रबंधक ही बता सकता है। उसके द्वारा आखिरी सत्यापन आर्टिकल 25 में लिखित कॉलम के आधार पर ही कमी बताई गई है। प्रकरण में जप्त आर्टिकल 25 के अंतिम कॉलम में संबंधित विकेता के हस्ताक्षर होते हैं।

37— उसने ग्राम आमवाही उचित मूल्य की दुकान के स्टाक रजिस्टर आर्टिकल 26 के आधार पर प्रदर्श पी—5 का सत्यापन किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। आर्टिकल 26 के पृष्ठ क्रमांक-8 में 25 किलो शक्कर कम पाया था, पृष्ठ कमांक-27 के अनुसार 7.10 किलो गेंहूं कम पाया था, पृष्ठ कमांक-60 के अनुसार मिट्टी का तेल 41 लीटर कम पाया था, पृष्ठ कमांक-78 में राशन बारदाना 94 कम पाया, पृष्ठ कमांक-97 के अनुसार 26 नग बारदाना कम पाया था, पृष्ठ क्रमांक-107 के अनुसार चांवल बोरा 18.22 किंवटल कम पाया, सत्यापन रिपोर्ट में 18.32 किंवटल दर्शित है, वह गलत है, पृष्ठ क्रमांक-111 के अनुसार 5 किलो जे.आर. वाय. चांवल कम था। साक्षी का कथन है कि वह न तो मौके पर गया था और न ही उसने वितरण रजिस्टर की जांच की थी। उसने इस बात का सत्यापन भी नहीं किया कि उक्त कमी दिनांक-19.10.1994 की है या उसके पूर्व की है। उसके द्वारा सत्यापन किया गया, जिसके अनुसार प्रदर्श पी-4 में 6060. 60 / - रूपये एवं प्रदर्श पी-5 में 13,992.90 / - रूपये की कमी क्रमशः उचित मूल्य दुकान ग्राम पोंडी एवं ग्राम आमवाही में पाई गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने प्रबंधक घोरमारे पर विश्वास कर कार्यवाही का सत्यापन किया था, कोई भी दस्तावेज उसने नहीं देखे थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि समस्त दस्तावेज जो प्रकरण में जप्त किये गए थे, वह दस्तावेज पुलिस द्वारा विवेचना की कार्यवाही में आरोपी से जप्त नहीं किये गए थे। यह दस्तावेज प्रबंधक मोतीराम घोरमारे (अ.सा.११) द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। यह दस्तावेज मोतीराम घोरमारे (अ.सा.11) द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही जो उसके द्वारा दिनांक-17.10.1994 से दिनांक-19.10.1994 को की गई थी में जप्त किये थे और वस्तुतः पुलिस द्वारा जप्ती की कार्यवाही किये जाते तक उसी के आधिपत्य में थे। दस्तावेजों पर जो हस्तलिपि थी वह हस्तलिपि आरोपी गंगोत्रीप्रसाद की हस्तलिपि थी, यह सिद्ध करने के लिए उपरोक्त आर्टिकल रजिस्टरों पर की गई लेखनी का मिलान आरोप के द्वारा प्रेषित अवकाश आवेदनपत्र की लेखनी से की गई थी। आरोपी द्वारा जो आवकाश आवेदनपनत्र जो पूर्व में भेजी गई थी, उनकी जप्ती प्रदर्श पी-10 अनुसार की गई थी।

38— साक्षी टी.आर. साहू (अ.सा.18) ने दिनांक—06.10.1995 को मोतीराम घोरमारे के पेश करने पर आरोपी गंगोत्री प्रसाद का हस्तिलिपि आवेदन उसने जप्त किया था और इन दस्तावेजों का जप्त आर्टिकल रिजस्टर में उपलब्ध लेखनी से मिलान करने हेतु विशेषज्ञ के पास परीक्षण हेतु भेजा गया था। सर्वप्रथम जो अवकाश आवेदनपत्र जप्तीपत्र प्रदर्श पी—10 अनुसार जप्त किया गया था वह दस्तावेज भी आरोपी गंगोत्री प्रसाद के आधिपत्य से जप्त नहीं किये गए थे। इसके पश्चात् यदि इस जप्ती की कार्यवाही को स्वतंत्र साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण पर विचार किया जावे तो जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—10 के स्वतंत्र साक्षी गुलाब (अ.सा.12) व परदेशी (अ.सा.19) ने जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष किये जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। आरोपी द्वारा स्टाक रिजस्टर में हेराफेरी किये जाने के इन्द्राज

स्वयं उसके द्वारा किये गये थे, इसके लिये उसके द्वारा उपरोक्त इंद्राज की कूटरचना किया जाना संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है और इसके लिए स्टाक रजिस्टर में किये गए इन्द्राज की लेखनी एवं आरोपी की स्वयं लेखनी का एक होना प्रमाणित होना चाहिए। आरोपी के द्वारा उपरोक्त आर्टिकल रजिस्टरों की इन्द्राज की लेखनी उसकी हस्तलिपि थी, यह प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक आरोपी द्वारा कूटरचना किया जाना प्रमाणित नहीं हो सकता है। प्रकरण में साहू (अ.सा.18) ने यह कहा है कि उसने आरोपी की लेखनी के विषय में विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट हेतु दस्तावेज प्रेषित किये थे, यह परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

अभियोजन द्वारा यह कहा अवश्य कहा गया है कि हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था, परंतु वह रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत तेजपाल विरूद्ध श्रीमती सरजू देवी व अन्य में यह अभिर्निधारित किया गया है ''साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा-45 तथा 114 मामला भा.दं.सं की धारा-409 के अधीन धन की रसीदें अभियुक्त कर्मचारी द्वारा लिखित होना अभिकथित किया गया हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराया गया परंतु रिपोर्ट फाईल नहीं की गई अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा" इस प्रकरण में जप्त दस्तावेजों की जप्ती आरोपी के पास से नहीं हुई है, इसलिए दस्तावेजों पर किया गया इंन्द्राज की लेखनी आरोपी द्वारा ही की गई थी, अथवा आरोपी की हस्तलिपि एवं जप्त रजिस्टरों की हस्तलिपि जिनमें की उपलब्ध सामग्री का इन्द्राज कम होना पाया गया था यह बात संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है। वस्तुतः आरोपी के द्वारा दिए गए अवकाश आवेदनपत्र जो प्रदर्श पी–10 अनुसार जप्त किये गए थे, उनकी लेखनी तथा जप्त आर्टिकल रजिस्टरों की लेखनी का एक होना सर्वप्रथम प्रमाणित किया जाना चाहिए था, यदि उपरोक्त दोनों लेखनी विशेषज्ञ की रिपोर्ट अनुसार एक होना प्रमाणित होता, तब इस बात पर विचार किया जाना था कि आर्टिकल रजिस्टरों में इन्द्राज इस आशय से किया गया था कि मूल्यवान प्रतिभूति को अपने लाभ के लिए आरोपी द्वारा संपरिवर्तित किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार प्रकरण में विशेषज्ञ की रिपोर्ट बुलाई गई थी, परंतु अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि अभियोजन पक्ष की ओर प्रतिकूल प्रभाव माना जावेगा और इस आधार पर आरोपी द्वारा ही दस्तावेजों की कूटरचना की गई थी, यह बात प्रमाणित नहीं पाई जाती। इसलिए आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

40— प्रकरण में आरोपी दिनांक—29.06.1995 से दिनांक—10.08.1995 तक के न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

41— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

42— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बिकी एवं स्टाक रिजस्टर उचित मूल्य दुकान पौण्डी एवं अमवाही का (प्रदर्श पी—1 अनुसार) केडिट मेमो लीड सोसाईटी मोहगांव (प्रदर्श पी—3 अनुसार) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जावें, एक आवेदनपत्र (प्रदर्श पी—2 अनुसार) परीक्षण हेतु हस्तिलिपि विशेषज्ञ भोपाल के पास में प्रेषित की गई है, यह दस्तावेज वापस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, दस्तावेज प्राप्त होने पर, अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर, दिनांक—30.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट